भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था

भारत का संवैधानिक विकास

ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनाधीन पारित अधिनियम

↓

रेग्युलेटिंग एक्ट, 1773

- कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना (प्रथम मुख्य न्यायाधीश - एलिजा इम्पे)
- 'बंगाल के गवर्नर' को 'बंगाल का गवर्नर जनरल' पदनाम (प्रथम-वारेन हेस्टिंग्स)

पिट्स इंडिया एक्ट, 1784

- नियंत्रण परिषद की स्थापना

चार्टर एक्ट, 1813

- शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च का उपबंध
- कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त (चाय एवं चीन को छोड़कर)

चार्टर एक्ट, 1833

- बंगाल के गवर्नर जनरल को सम्पूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। (प्रथम-लार्ड विलियम बेंटिक)
- कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त
- गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में कानूनी सदस्य को शामिल किया गया (प्रथम - लार्ड मैकाले)

चार्टर एक्ट, 1853

- विधि निर्माण हेतु केन्द्रीय विधान परिषद की स्थापना
- सिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ

ब्रिटिश क्राउन के शासनाधीन पारित अधिनियम

↓

भारत शासन अधिनियम, 1858

- गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय पदनाम
- 'भारत के राज्य सचिव' पद का सृजन
- भारत का शासन कंपनी से छीनकर सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन किया गया।

भारत परिषद अधिनियम, 1861

- वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति
- **विकेन्द्रीकरण की शुरूआत**

भारत परिषद अधिनियम, 1892

- केन्द्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया (पूरक प्रश्न एवं मतदान का अधिकार नहीं)

भारत परिषद अधिनियम, 1909

- मार्ले-मिंटो सुधार अधिनियम
- पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान

भारत शासन अधिनियम, 1919

- मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम
- केन्द्र में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारम्भ
- प्रांतों में द्वैध शासन की शुरूआत
- विषयों को दो भागों-आरक्षित एवं हस्तांतरित में बांटा गया।

भारत शासन अधिनियम, 1935

- केन्द्र में संघात्मक सरकार की स्थापना
- प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति
- केन्द्र में द्वैध शासन की शुरूआत
- केन्द्रीय बैंक एवं संघीय न्यायालय की स्थापना
- बर्मा को भारत से अलग किया गया।
- सिंध एवं उड़ीसा नामक नये प्रांतों का निर्माण

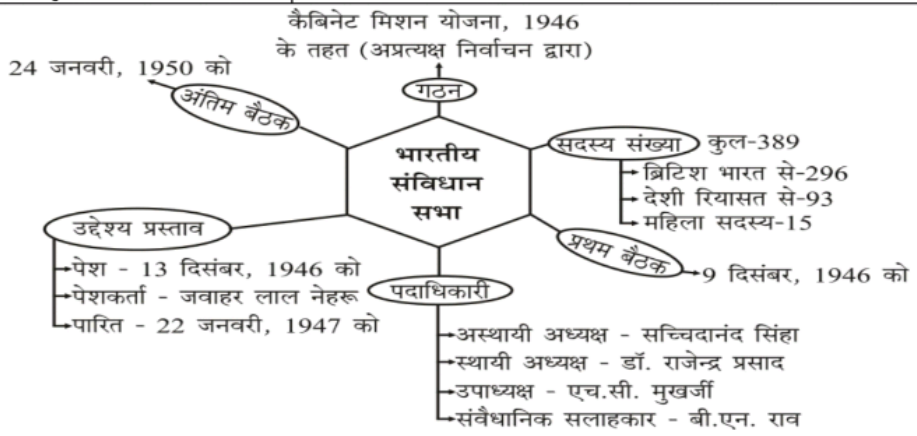

Download More PDF's
WWW.RAJASTHANCLASSES.IN

संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ एवं उनके अध्यक्ष	
समितियाँ	**अध्यक्ष**
संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति	जवाहर लाल नेहरू
नियम समिति, प्रक्रिया समिति, संचालन समिति	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी समिति	सरदार बल्लभ भाई पटेल
प्रारुप समिति (गठन-29 अगस्त, 1947 को, सात सदस्यीय)	डॉ. भीमराव अम्बेडकर

भारत का संविधान

- 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया।
- 26 जनवरी, 1950 से लागू हुआ।
- निर्माण में कुल 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन का समय लगा।
- मूल संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद थे।
- वर्तमान में गणना की दृष्टि से 25 भाग, 12 अनुसूचियाँ और लगभग 465 अनुच्छेद है।

संविधान के स्त्रोत

- **ब्रिटेन** - संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन
- **संयुक्त राज्य अमेरिका**- मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायधीशों का हटाया जाना, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, विधियों के समान संरक्षण
- **कनाडा** - संघात्मक शासन प्रणाली, केन्द्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्तियाँ केन्द्र के पास
- **आयरलैंड** - नीति-निदेशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य
- **जर्मनी** - आपातकाल
- **सोवियत संघ** - मूल कर्तव्य
- **दक्षिण अफ्रीका** - संविधान संशोधन प्रक्रिया
- **जापान** - विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया

उद्देशिका/ प्रस्तावना

- **भारत होगा** - एक सम्पूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य
- **न्याय** - सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक
- **स्वतंत्रता** - विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की
- **समता** - प्रतिष्ठा और अवसर की
- **42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़े गये शब्द** - समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता
- केशवानंद भारती वाद (1973) में उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का भाग माना
- पं. जवाहर लाल नेहरू ने उद्देशिका को 'संविधान की आत्मा' कहा है
- के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है

Download More PDF's
WWW.RAJASTHANCLASSES.IN

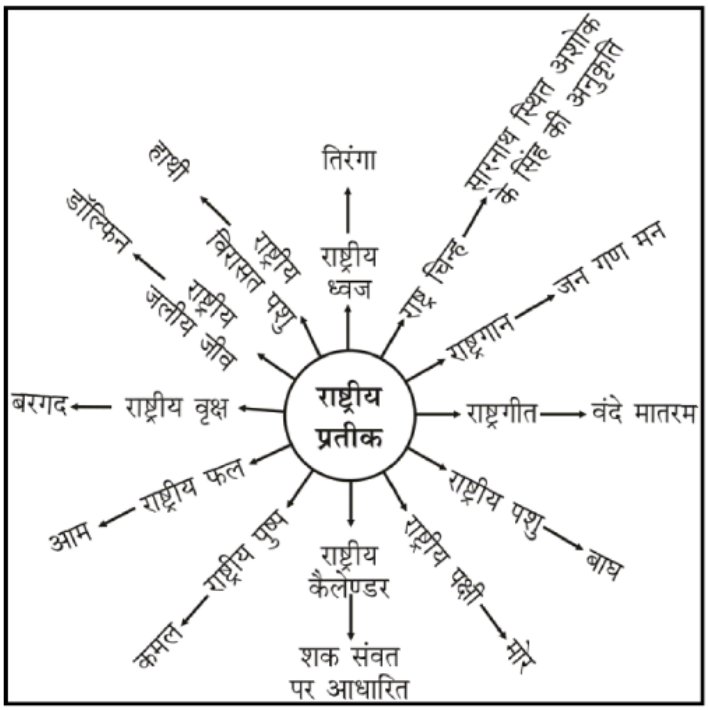

नए राज्यों का गठन

क्र.सं.	राज्य	गठन तिथि
1.	आंध्र प्रदेश	1 अक्टूबर, 1953
2.	गुजरात	1 मई, 1960
3.	नागालैण्ड	1 दिसम्बर, 1963
4.	हरियाणा	1 नवंबर, 1966
5.	हिमाचल प्रदेश	25 जनवरी, 1971
6.	मणिपुर	21 जनवरी, 1972
7.	मेघालय	21 जनवरी, 1972
8.	त्रिपुरा	21 जनवरी, 1972
9.	सिक्किम	16 मई, 1975
10.	मिजोरम	20 फरवरी, 1987
11.	अरूणाचल प्रदेश	20 फरवरी, 1987
12.	गोवा	30 मई, 1987
13.	छत्तीसगढ़	1 नवंबर, 2000
14.	उत्तराखण्ड	9 नवंबर, 2000
15.	झारखण्ड	15 नवंबर, 2000
16.	तेलंगाना	2 जून, 2014

राज्यों का गठन महत्वपूर्ण तथ्य

- भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश (1953) है।
- राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ, इसके अध्यक्ष फजल अली थे एवं दो अन्य सदस्य के.एम. पणिक्कर एवं हृदय नाथ कुंजरू थे।
- उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी, 1950 को हुआ था।
- कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और राजस्थान की स्थापना 1 नवंबर, 1956 को की गई।

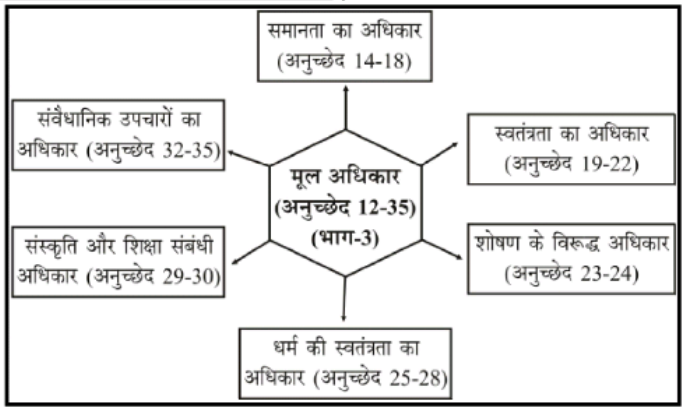

Download More PDF's
WWW.RAJASTHANCLASSES.IN

मूल अधिकार : महत्वपूर्ण तथ्य

- 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300-क के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया।
- मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय पाँच प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं, ये रिटें हैं- बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण।
- राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं (अनुच्छेद 358)।

राज्य के नीति निदेशक तत्व :

महत्वपूर्ण तथ्य

- इसका उपबंध संविधान के भाग-4, अनुच्छेद 36-51 में किया गया है।
- यह गैर-वाद योग्य है अर्थात् न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं कराया जा सकता।
- इसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य एवं सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है।

स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया

मूल कर्तव्य भाग-4क अनुच्छेद-51क

11 वाँ मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा गया, जो 6-14 वर्ष के प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करने के माता-पिता या संरक्षक के कर्तव्य का प्रावधान करता है।

प्रारंभ में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या 10 थी, वर्तमान में 11 है

भारत का राष्ट्रपति होता है
- देश का प्रथम नागरिक
- संघ की कार्यपालिका का प्रमुख
- तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति

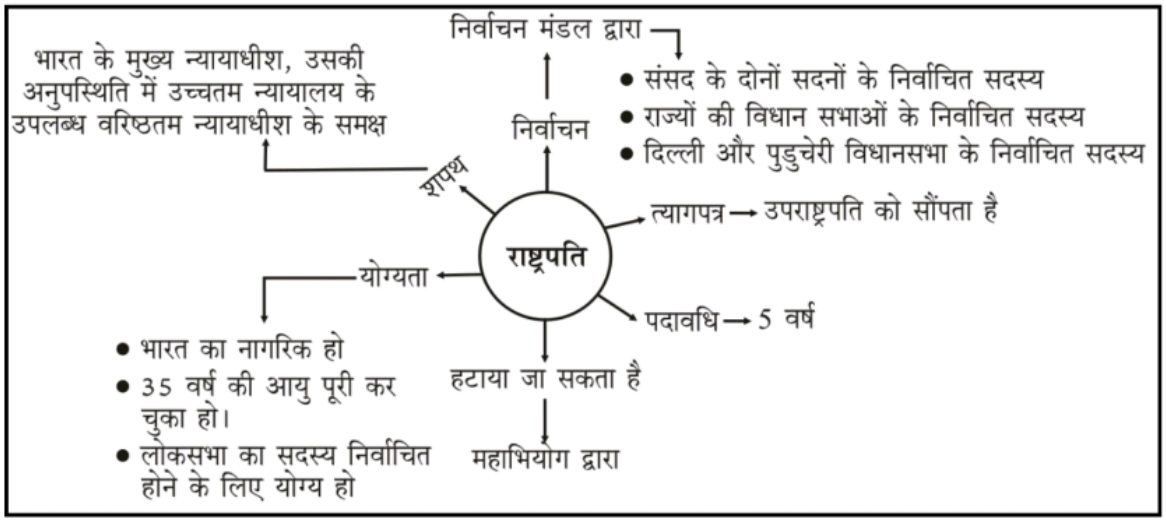

राष्ट्रपति पर महाभियोग (अनुच्छेद-61)
- लाया जा सकता है → किसी भी सदन में
- पारित होगा
  - दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग
  - कुल सदस्य संख्या के दो-तिहाई बहुमत से

Download More PDF's
WWW.RAJASTHANCLASSES.IN

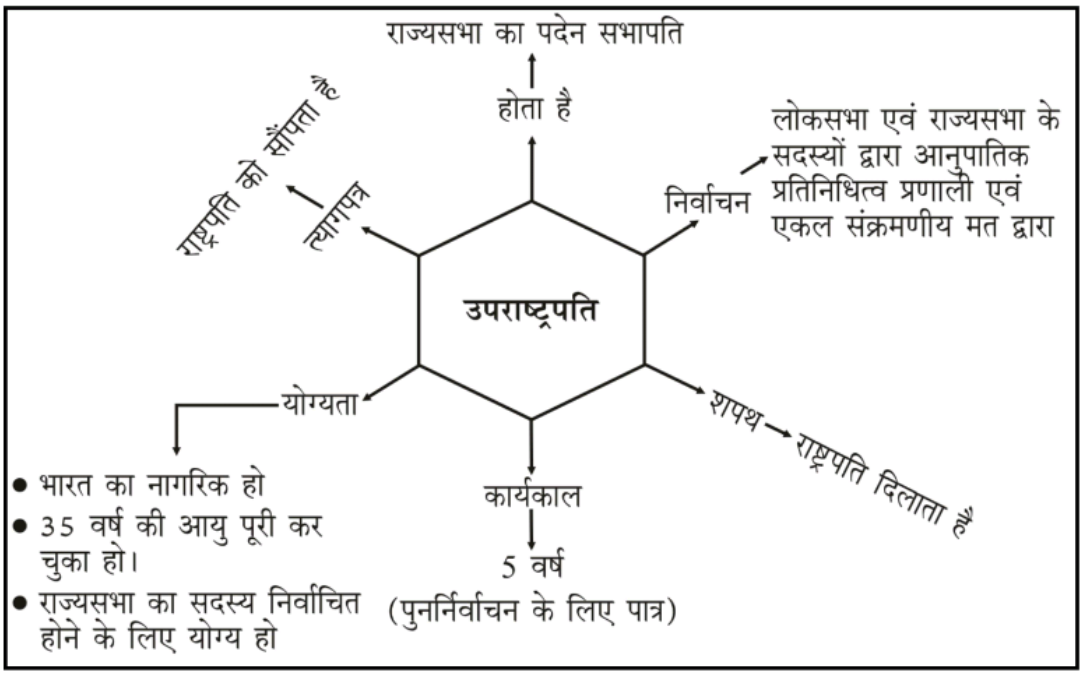

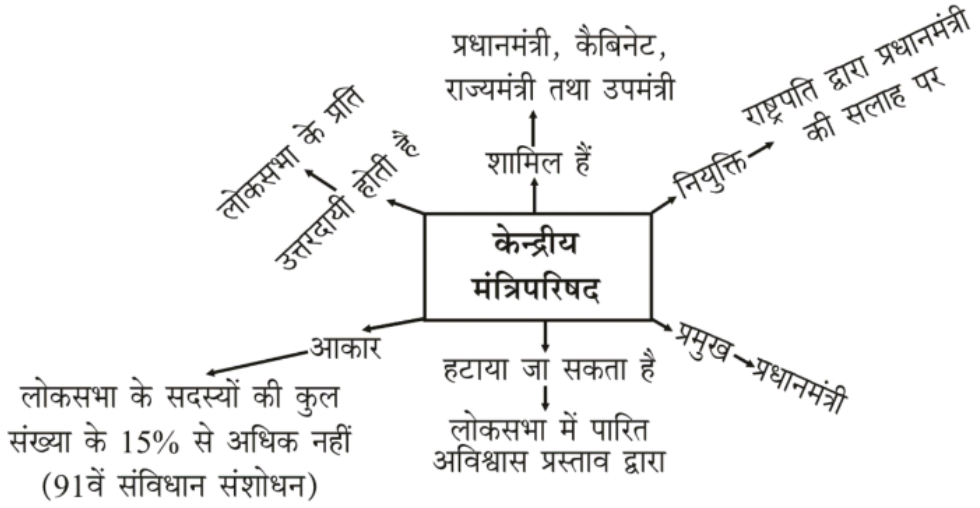

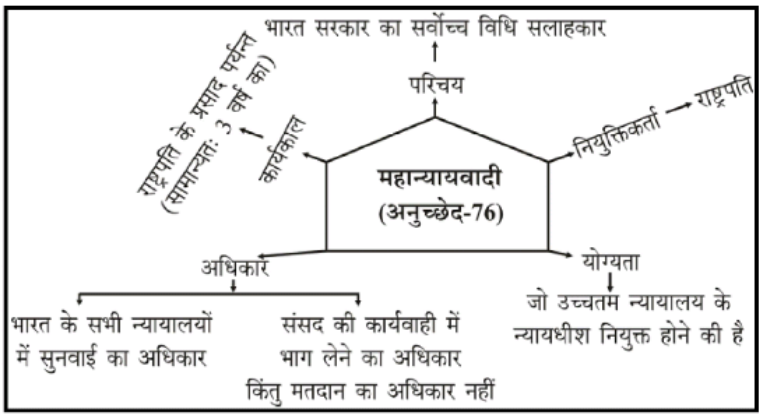

Download More PDF's
WWW.RAJASTHANCLASSES.IN

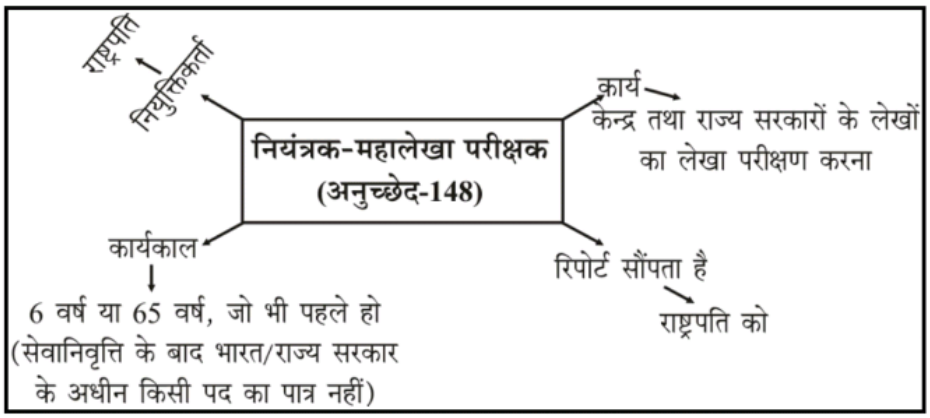

संसद

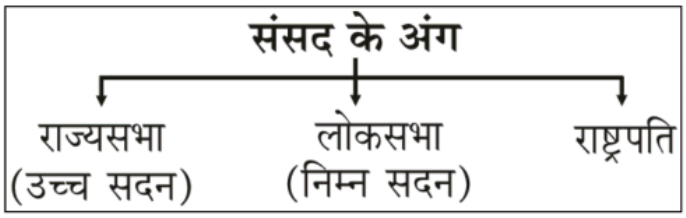

राज्यसभा (अनुच्छेद -80)

- गठन तिथि → 3 अप्रैल, 1952
- प्रथम बैठक → 13 मई, 1952 को
- उच्च सदन (स्थायी सदन)
- सदस्य संख्या
  - निर्धारित - 250 (238 निर्वाचित, 12 मनोनीत)
  - वर्तमान में - 245 (233 निर्वाचित, 12 मनोनीत)
- सदस्य निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु - 30 वर्ष
- सदस्य का कार्यकाल - 6 वर्ष
- पदेन सभापति - उपराष्ट्रपति
- एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त
- प्रथम सभापति - डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन

लोकसभा (अनुच्छेद -81)

- निम्न सदन (अस्थायी सदन)
- सदस्य संख्या
  - निर्धारित - 550 (530 राज्यों से, 20 संघ राज्य क्षेत्रों से)
  - वर्तमान में - 543 (524 राज्यों से, 19 संघ राज्य क्षेत्रों से)
- सदस्य निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु - 25 वर्ष
- सदस्य का कार्यकाल - 5 वर्ष
- प्रथम अधिवेशन हुआ - 13 मई, 1952 को
- प्रथम लोकसभा अध्यक्ष - गणेश वसुदेव मावलंकर
- प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष - मीरा कुमार

Download More PDF's
WWW.RAJASTHANCLASSES.IN

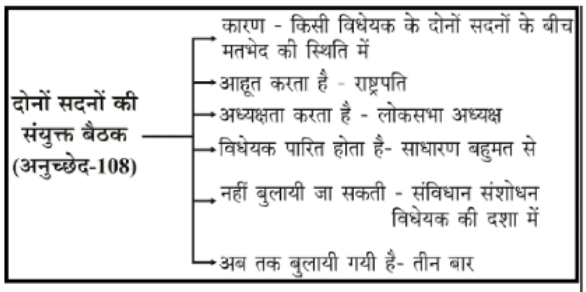

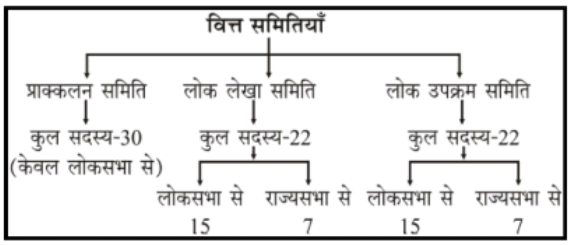

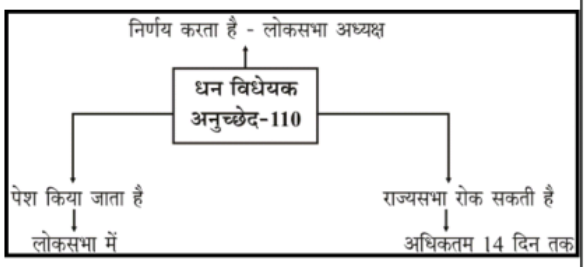

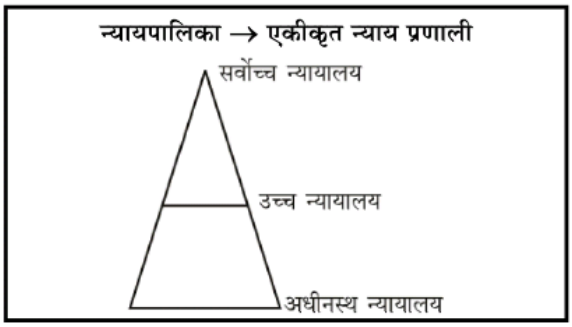

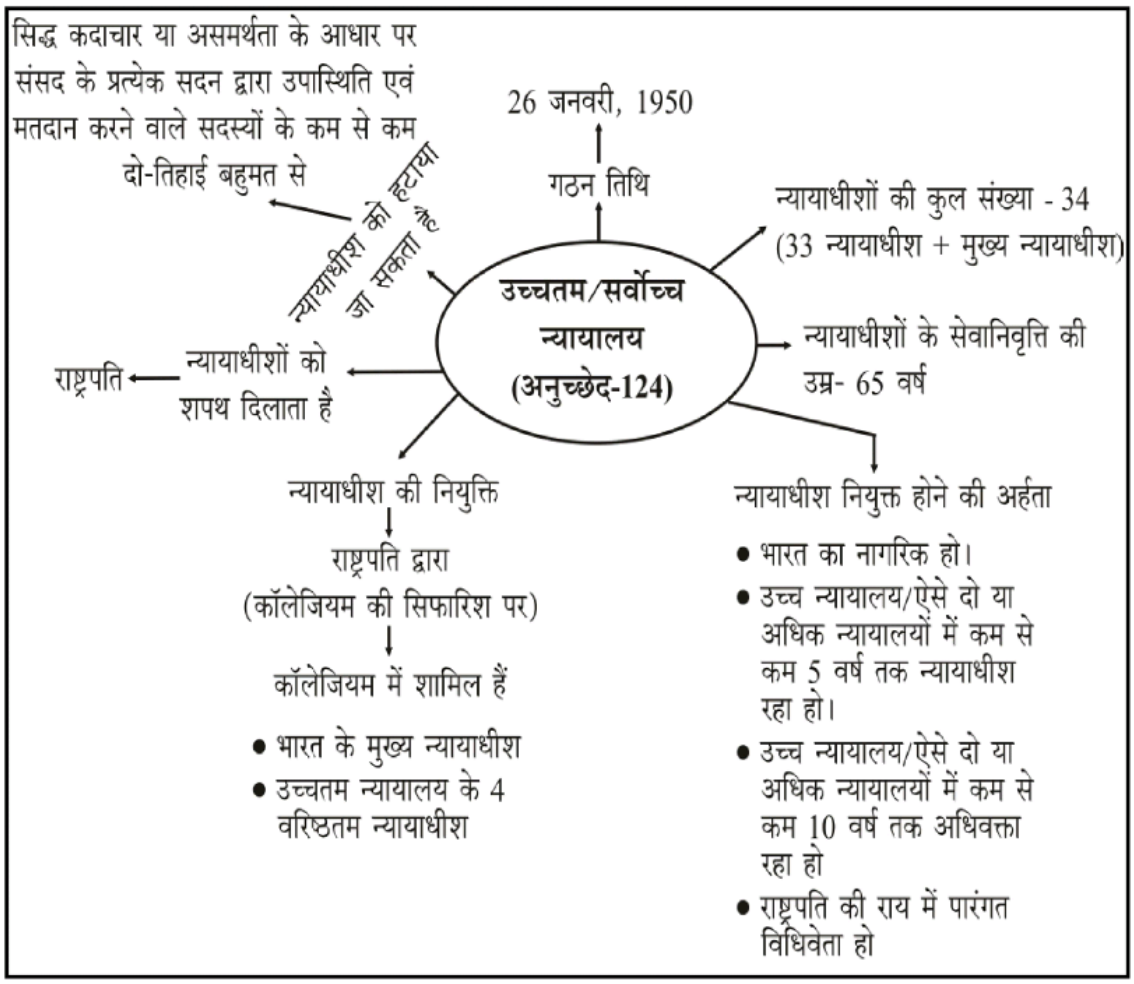

Download More PDF's
WWW.RAJASTHANCLASSES.IN

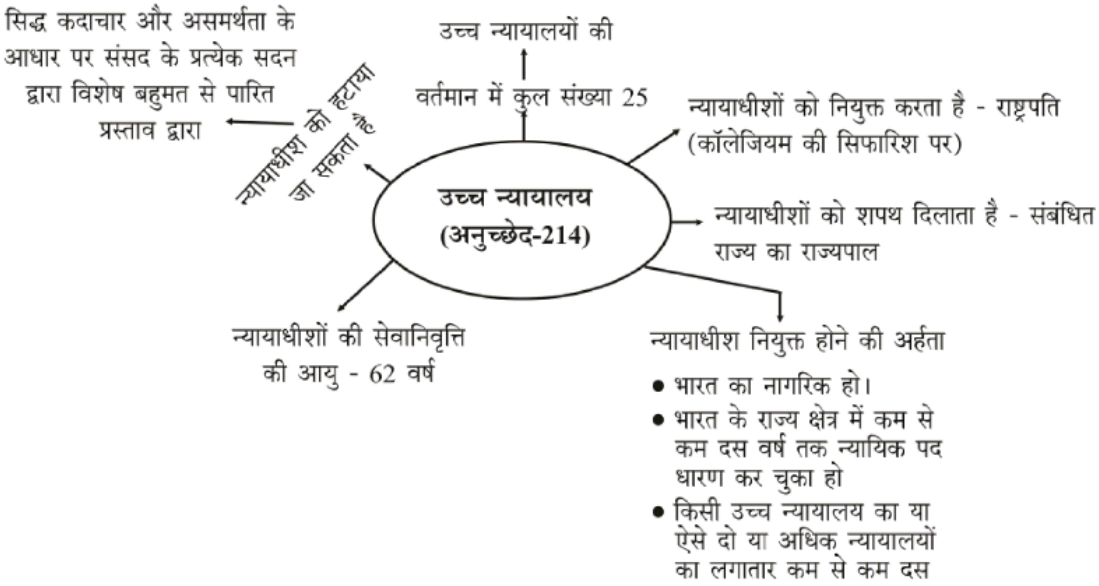

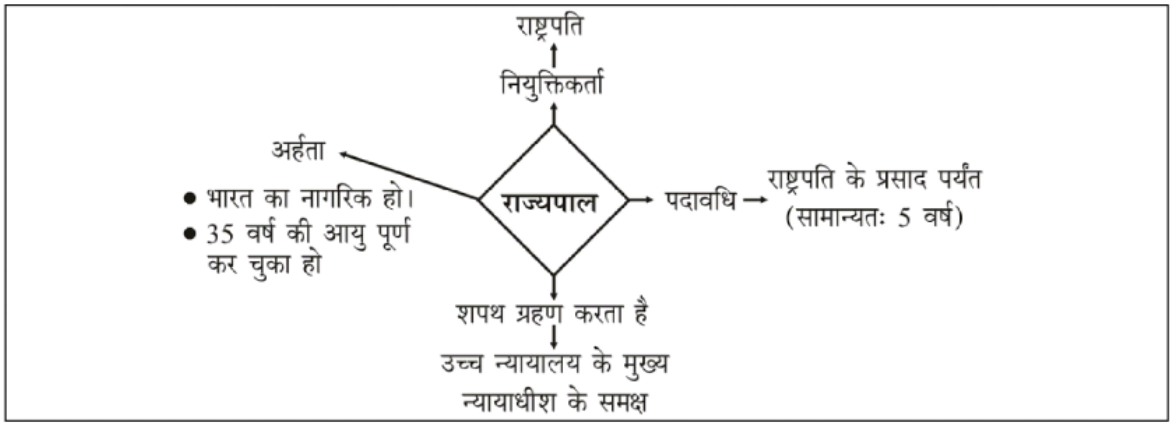

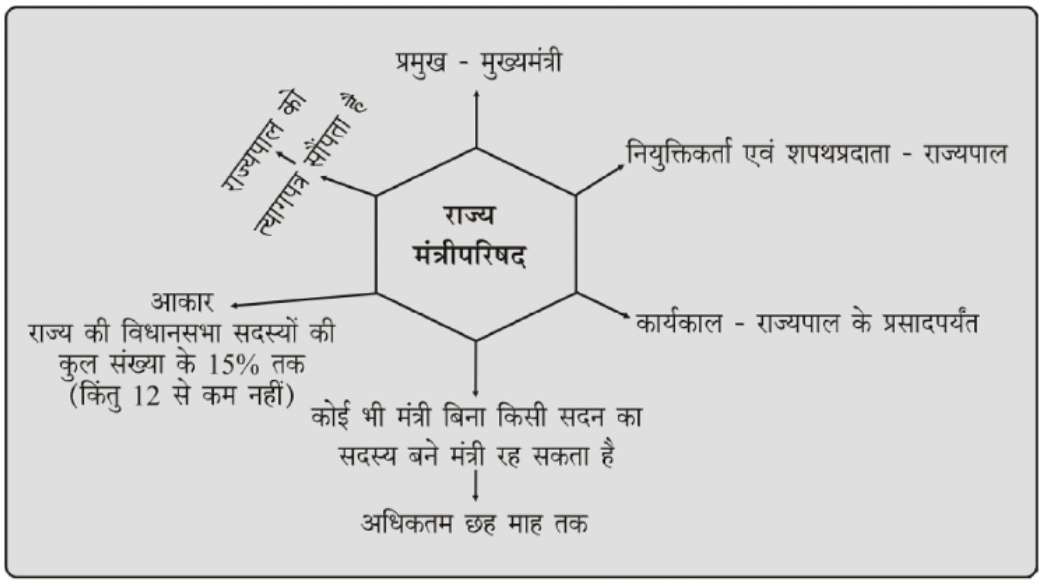

Download More PDF's
WWW.RAJASTHANCLASSES.IN

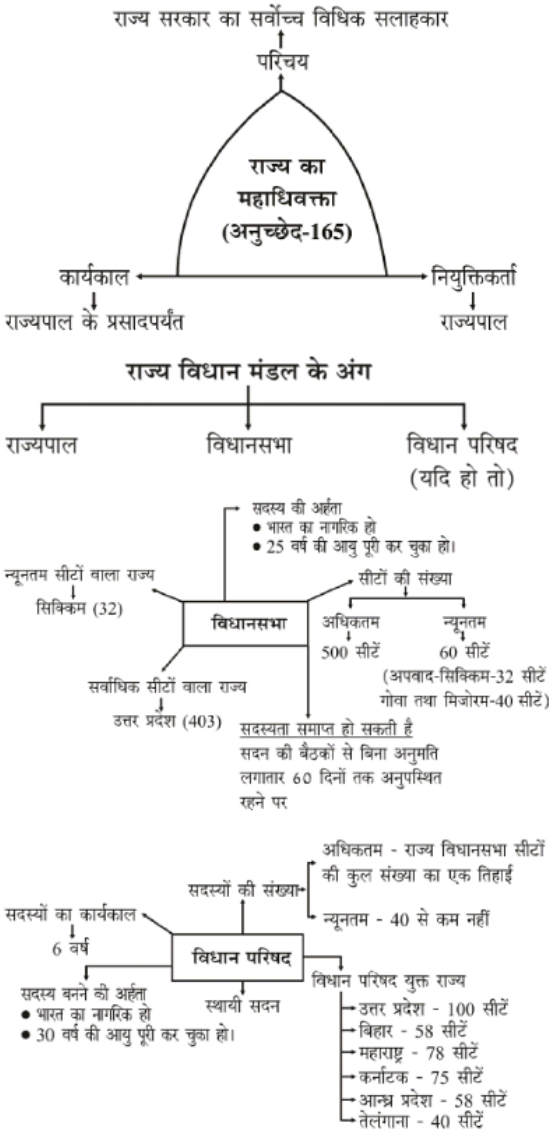

संविधान का संशोधन

भाग-20

अनुच्छेद-368

महत्वपूर्ण तथ्य

- संसद संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन (परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन) कर सकती है।
- संविधान संशोधन विधेयक संसद किसी भी सदन में मंत्री या गैर-सरकारी सदस्य द्वारा पुरःस्थापित किया जा सकता है।
- संविधान संशोधन विधेयक को प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत अर्थात् उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उस सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित होना आवश्यक है।
- संविधान के कुछ उपबंधों में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल की मंजूरी लेना भी आवश्यक है, जैसे-
  - राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया
  - केन्द्र और राज्य कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार
  - उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय
  - केन्द्र एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन
  - GST परिषद
  - सातवीं अनुसूची
  - संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व
  - संविधान संशोधन प्रक्रिया (अनुच्छेद-368)
- संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलायी जा सकती।
- संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति मंजूरी देने के लिए बाध्य है।

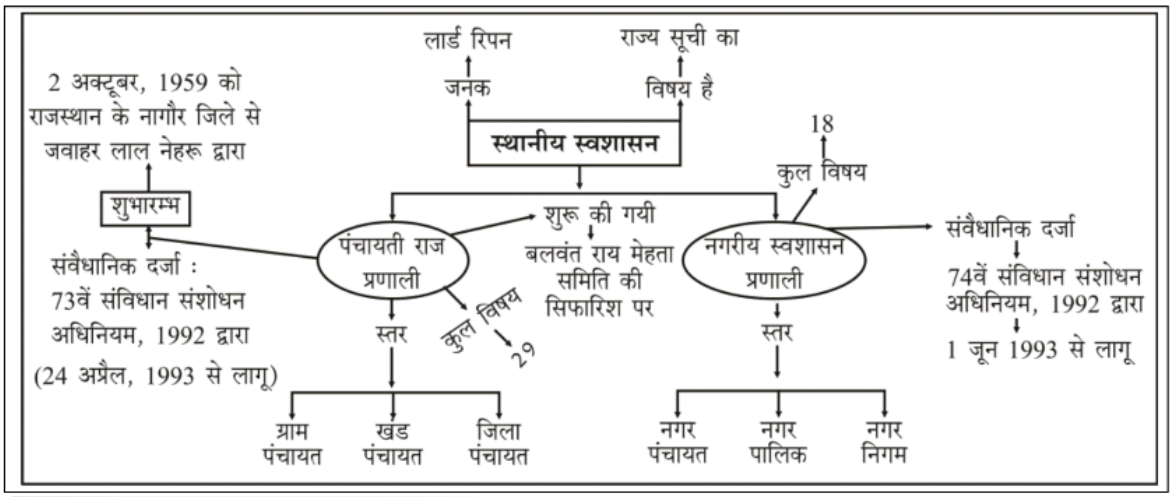

Download More PDF's
WWW.RAJASTHANCLASSES.IN

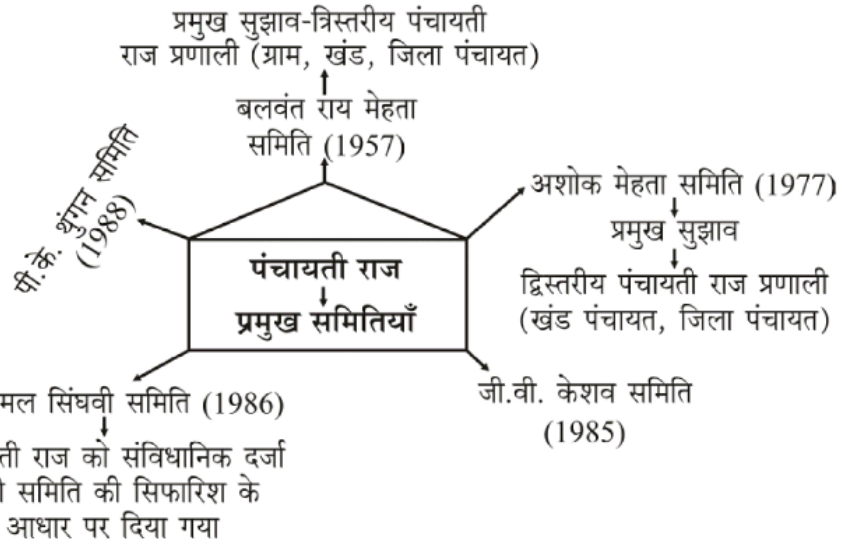

पंचायती राज एवं नगर निकाय

- चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है।
- सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है।
- सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें एक-तिहाई हैं।
- कार्यकाल 5 वर्ष है।
- वित्त की सिफारिश राज्य वित्त आयोग करता है।
- रिक्त सीट पर पुनः चुनाव 6 माह के भीतर कराना आवश्यक है।
- वर्तमान में नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में पंचायती राज संस्था नहीं है।

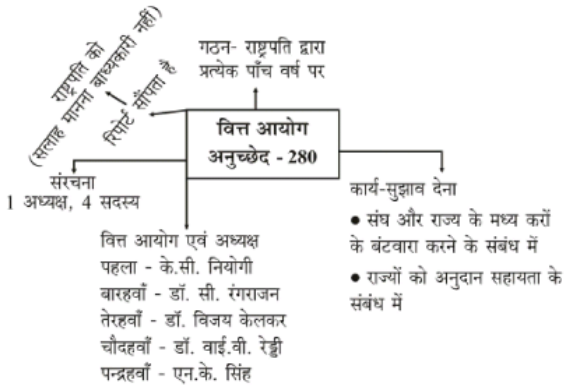

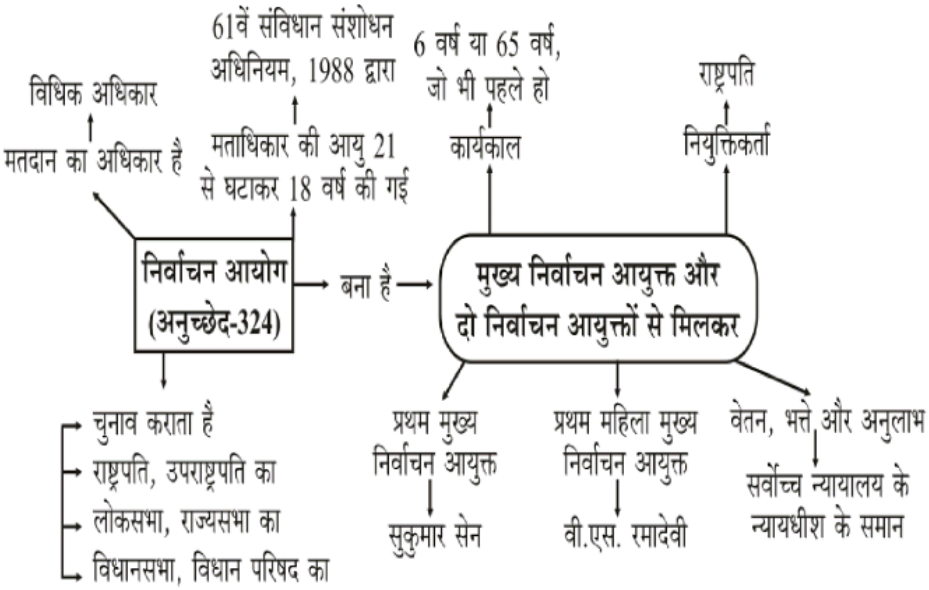

Download More PDF's
WWW.RAJASTHANCLASSES.IN

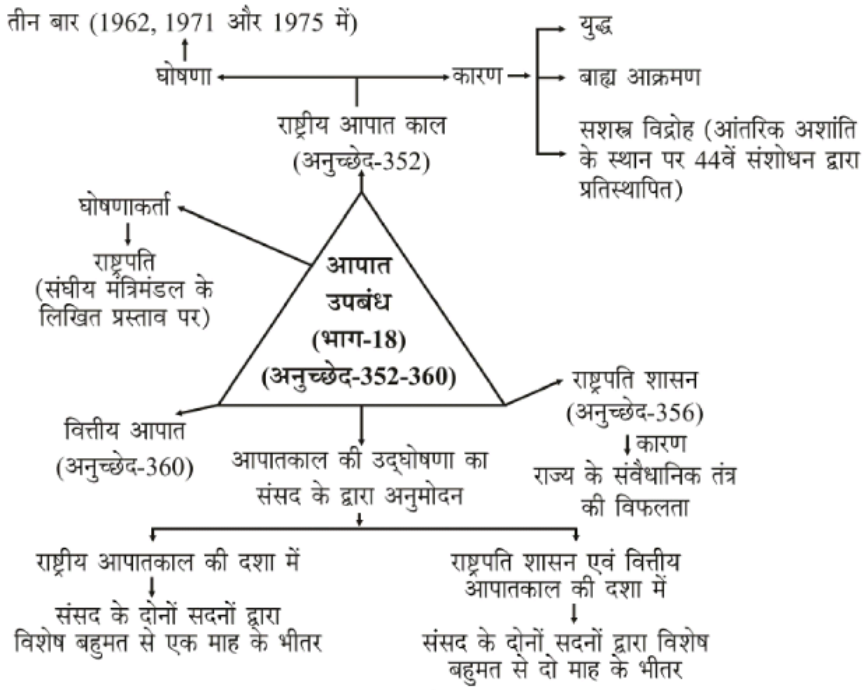

महत्वपूर्ण संविधान संशोधन : एक नजर में

पहला संशोधन अधिनियम, 1951

→ नौंवी अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से संबंधित कानून को नौंवी अनुसूची में डाला गया।

21वाँ संशोधन अधिनियम, 1967

→ सिंधी भाषा 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई।

24वाँ संशोधन अधिनियम, 1971

→ संसद को यह अधिकार दिया गया कि संविधान के किसी भी भाग (मूल अधिकार में भी) में संशोधन कर सकती है।

→ राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी देने के लिए बाध्य।

35वाँ संशोधन अधिनियम, 1974

→ सिक्किम को सहयोगी राज्य बनाया गया।

36वाँ संशोधन अधिनियम, 1975

→ सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया गया।

42वाँ संशोधन अधिनियम, 1976

→ प्रस्तावना में 'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष' एवं 'अखंडता' शब्द जोड़ा गया।

→ मूल कर्तव्य जोड़ा गया (भाग 4क, अनुच्छेद 51 क)

→ नीति निदेशक तत्व में जोड़ा गया

- समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता (अनुच्छेद-39क)।
- उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना (अनुच्छेद-43क)।
- पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा (अनुच्छेद 48 क)।
- राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानना बाध्यकारी।
- लोकसभा एवं विधानसभा का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया।

44वाँ संशोधन अधिनियम,

→ कैबिनेट की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेजने की राष्ट्रपति को शक्ति, परंतु पुनर्विचार के बाद मानना बाध्यकारी।

→ लोकसभा एवं विधानसभा का कार्यकाल पुनः 6 से घटाकर 5 वर्ष किया गया।

→ राष्ट्रीय आपात के विषय में 'आंतरिक अशांति' शब्द के स्थान पर 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द जोड़ा गया।

→ राष्ट्रपति कैबिनेट की लिखित सलाह पर ही आपातकाल घोषित कर सकता है।

→ सम्पत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300क के अंतर्गत विधिक अधिकार बनाया गया।

52वाँ संशोधन अधिनियम, 1985

→ दसवीं अनुसूची के रूप में दल-बदल विरोधी कानून जोड़ा गया।

61वाँ संशोधन अधिनियम, 1989

→ लोकसभा एवं विधानसभा में मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई।

69वाँ संशोधन अधिनियम, 1991

→ केन्द्रशासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया।

Download More PDF's
WWW.RAJASTHANCLASSES.IN

70वाँ संशोधन अधिनियम, 1992

→ दिल्ली, पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान का अधिकार दिया गया।

71वाँ संशोधन अधिनियम, 1992

→ कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया।

86वाँ संशोधन अधिनियम, 2002

→ संविधान में मूल अधिकारों की श्रेणी में अनुच्छेद 21क जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा का प्रावधान किया गया।

→ नीति निदेशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 45 की विषयवस्तु परिवर्तित करते हुए 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा का उपबंध किया गया।

→ मूल कर्तव्यों में 11वें मूल कर्तव्यों के रूप में 6-14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा सुविधा प्रदान करने का माता-पिता का कर्तव्य जोड़ा गया।

89वाँ संशोधन अधिनियम, 2003

→ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए अलग-अलग आयोग की व्यवस्था की गई।

91वाँ संशोधन अधिनियम, 2003

→ केन्द्रीय मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता।

→ राज्य मंत्रिपरिषद का आकार विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता, किंतु न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी।

92वाँ संशोधन अधिनियम, 2003

→ 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथली और संथाली भाषा जोड़ी गई, इसी के साथ 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की कुल संख्या 22 हो गई।

97वाँ संशोधन अधिनियम, 2011

→ सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।

99वाँ संशोधन अधिनियम, 2014

→ उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में न्यायधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC)' की व्यवस्था की गई। (वर्ष 2015 में उच्चतम न्यायालय ने इसे असंवैधानिक ठहराते हुए रद्द कर दिया।)

100वाँ संशोधन अधिनियम, 2015

→ भारत-बांग्लादेश के मध्य भू-भाग का हस्तांतरण।

101वाँ संशोधन अधिनियम, 2016

→ विभिन्न अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर एक देश एक कर प्रणाली की संकल्पना के तहत वस्तु एवं सेवा कर (GST) की शुरूआत।

102वाँ संशोधन अधिनियम, 2018

→ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।

103वाँ संशोधन अधिनियम, 2019

→ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण का प्रावधान।

104वाँ संशोधन अधिनियम, 2019

→ लोकसभा एवं राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को अगले 10 वर्ष (2030 तक) के लिए बढ़ाया गया।

→ लोकसभा एवं राज्य विधान सभाओं में आंग्ल भारतीयों के मनोनयन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया।

105वाँ संशोधन अधिनियम, 2021

→ राज्यों को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग (SEBCs) की पहचान करने एवं सूची बनाने का अधिकार पुनः दिया गया। (राज्यों से यह अधिकार 102वें संविधान संशोधन द्वारा छीन लिया गया था।)

संविधान के भाग (कुल-22)

भाग		विषय
1.	-	संघ और उसका राज्य क्षेत्र (अनु-1-4)
2.	-	नागरिकता (अनुच्छेद-5-11)
3.	-	मौलिक अधिकार (अनुच्छेद-12-35)
4.	-	राज्य के नीति निदेशक तत्व (अनुच्छेद-36-51)
4क.	-	मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद-51क)
5.	-	संघ (अनुच्छेद-52-151)
6.	-	राज्य (अनुच्छेद-152-237)
7.	-	निरसित (अनुच्छेद-238)
8.	-	संघ राज्य क्षेत्र (अनुच्छेद-239-242)
9.	-	पंचायतें (अनुच्छेद-243-243ण)
9क.	-	नगरपालिकाएं (अनुच्छेद-243त - 243यछ)
9ख.	-	सहकारी समितियाँ (अनुच्छेद-243यज-243यन)
10.	-	अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र (अनुच्छेद-244-244क)
11.	-	संघ एवं राज्यों के बीच संबंध (अनुच्छेद-245-263)
12.	-	वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं वाद (अनुच्छेद-264-300क)
13.	-	भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम (अनुच्छेद-301-307)
14.	-	वाणिज्य एवं समागम संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं (अनुच्छेद-308-323)
14क.	-	अधिकरण (अनुच्छेद-323क-323ख)
15.	-	निर्वाचन (अनुच्छेद-324-329क)
16.	-	कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध (अनुच्छेद-330-342क)
17.	-	राजभाषा (अनुच्छेद-343-351)
18.	-	आपात उपबंध (अनुच्छेद-352-360)
19.	-	प्रकीर्ण (अनुच्छेद-361-367)
20.	-	संविधान संशोधन (अनुच्छेद-368)
21.	-	अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध (अनुच्छेद-369-392)
22.	-	संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन (अनुच्छेद-393-395)

Download More PDF's
WWW.RAJASTHANCLASSES.IN

अनुसूचियाँ (कुल-12)

- पहली → राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र
- दूसरी → राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा एवं विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा एवं विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा CAG को मिलने वाला वेतन, भत्ते तथा पेंशन
- तीसरी → भारत संघ के प्रमुख पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप
- चौथी → राज्यसभा में स्थानों का आवंटन
- पाँचवीं → अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध
- छठी → असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध
- सातवीं → संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन-संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची
- आठवीं → भाषाएँ- कुल 22 को मान्यता
- नौंवीं → कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यीकरण
- दसवीं → दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में उपबंध
- ग्यारहवीं → पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व
- बारहवीं → नगरपालिकाओं आदि की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व

भारतीय संविधान : महत्वपूर्ण अनुच्छेद

अनुच्छेद - 1 → संघ का नाम और राज्य क्षेत्र।
अनुच्छेद - 2 → नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना।
अनुच्छेद - 3 → नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन।
अनुच्छेद - 5 → संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता
अनुच्छेद - 12 → राज्य की परिभाषा
अनुच्छेद - 14 → विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण।
अनुच्छेद - 15 → धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध।
अनुच्छेद - 16 → लोक नियोजन में अवसर की समता।
अनुच्छेद - 17 → अस्पृश्यता का अंत।
अनुच्छेद - 18 → उपाधियों का अंत।
अनुच्छेद - 19 → वाक् - स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण।
अनुच्छेद - 20 → अपराधों की दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण।
अनुच्छेद - 21 → प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण।
अनुच्छेद - 21क → 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार।
अनुच्छेद - 22 → कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण।
अनुच्छेद - 23 → मानव दुर्व्यापार एवं बलात् का प्रतिषेध।
अनुच्छेद - 24 → कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध।
अनुच्छेद - 25 → अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता।
अनुच्छेद - 29 → अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण।
अनुच्छेद - 30 → शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार।
अनुच्छेद - 32 → संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
अनुच्छेद - 39क → समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता।
अनुच्छेद - 40 → ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान।
अनुच्छेद - 44 → नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता।
अनुच्छेद - 45 → छह वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा का उपबंध।
अनुच्छेद - 48 → कृषि और पशुपालन का संगठन।
अनुच्छेद - 48क → पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा।
अनुच्छेद - 50 → कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण।
अनुच्छेद - 51 → अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि।
अनुच्छेद - 51क → मूल कर्तव्य।
अनुच्छेद - 52 → भारत का एक राष्ट्रपति होगा।
अनुच्छेद - 53 → संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी।
अनुच्छेद - 58 → राष्ट्रपति पद की योग्यता।
अनुच्छेद - 60 → राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान।
अनुच्छेद - 61 → राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया।
अनुच्छेद - 63 → भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।
अनुच्छेद - 64 → उपराष्ट्रपति का राज्य सभा का पदेन सभापति होना।
अनुच्छेद - 72 → राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति।
अनुच्छेद - 74 → राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रि-परिषद।

Download More PDF's
WWW.RAJASTHANCLASSES.IN

अनुच्छेद - 75(1) → प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा।
अनुच्छेद - 76 → भारत का महान्यायवादी।
अनुच्छेद - 78 → संसद का गठन।
अनुच्छेद - 85 → संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन।
अनुच्छेद - 108 → कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक।
अनुच्छेद - 110 → 'धन विधेयक' की परिभाषा।
अनुच्छेद - 111 → विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति।
अनुच्छेद - 112 → वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)।
अनुच्छेद - 123 → संसद के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति।
अनुच्छेद - 124 → उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन।
अनुच्छेद - 129 → उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना।
अनुच्छेद - 137 → निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन।
अनुच्छेद - 143 → उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति।
अनुच्छेद - 148 → भारत का नियंत्रक - महालेखापरीक्षक।
अनुच्छेद - 152 → राज्यों के राज्यपाल।
अनुच्छेद - 155 → राज्यपाल की नियुक्ति।
अनुच्छेद - 161 → राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति।
अनुच्छेद - 163 → राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद।
अनुच्छेद -164(1) → मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा।
अनुच्छेद - 165 → राज्य का महाधिवक्ता।
अनुच्छेद - 169 → राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन
अनुच्छेद - 200 → राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति।
अनुच्छेद - 213 → विधानमंडल के विश्रांतिकाल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति।
अनुच्छेद - 214 → राज्यों के लिए उच्च न्यायालय।
अनुच्छेद - 226 → कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति।
अनुच्छेद - 233 → जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति।
अनुच्छेद - 239 → संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन।
अनुच्छेद - 239कक → दिल्ली के संबंध में विशेष।
अनुच्छेद - 243क → ग्राम सभा
अनुच्छेद - 243ख → पंचायतों का गठन
अनुच्छेद - 243घ → पंचायतों का आरक्षण
अनुच्छेद - 243ङ → पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन।
अनुच्छेद - 243ट → पंचायतों के निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग।
अनुच्छेद - 243ठ → नगरपालिकाओं का गठन।
अनुच्छेद - 243यघ → जिला योजना के लिए समिति।
अनुच्छेद - 249 → राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति।
अनुच्छेद - 253 → अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान।
अनुच्छेद - 263 → अंतर-राज्य परिषद के संबंध में उपबंध।
अनुच्छेद - 266 → भारत और राज्यों की संचित निधियाँ और लोक लेखे।
अनुच्छेद - 267 → भारत की आकस्मिकता निधि।
अनुच्छेद - 279क → माल और सेवाकर परिषद (GST Council)
अनुच्छेद - 280 → वित्त आयोग
अनुच्छेद - 300क → विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना (संपत्ति का अधिकार)।
अनुच्छेद - 312 → अखिल भारतीय सेवाएँ।
अनुच्छेद - 315 → संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग।
अनुच्छेद - 323क → प्रशासनिक अधिकरण।
अनुच्छेद - 324 → निर्वाचन आयोग।
अनुच्छेद - 330 → लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण।
अनुच्छेद - 332 → राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण।
अनुच्छेद - 338 → राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग।
अनुच्छेद - 338क → राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग।
अनुच्छेद - 338ख → पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग।
अनुच्छेद - 343 → संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी।
अनुच्छेद - 350क → प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा सुविधाएँ।
अनुच्छेद - 352 → राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण।
अनुच्छेद - 356 → राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में राष्ट्रपति शासन का उपबंध।
अनुच्छेद - 360 → वित्तीय आपातकाल।
अनुच्छेद - 368 → संसद की संविधान का संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया।

Download More PDF's
WWW.RAJASTHANCLASSES.IN

Rajasthan 360
PDF कोर्स व टेस्ट सीरीज हेतु ऐप

Rajasthan classes
Free PDF नोट्स के लिए सर्च करें

8107670333
ग्रुप में जुड़ने हेतु नाम व जिला लिखकर मैसेज करें

Download More PDF's
WWW.RAJASTHANCLASSES.IN